क्रम-संख्या—510

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन. पी. 890

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0-41

लाइसेन्स टू पोस्ट एण्ड कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 1 नवम्बर, 2000

कार्तिक 10, 1922 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 2452/सत्रह-वि-1—1 (क)-25-2000

लखनऊ, 1 नवम्बर, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा।

(2) यह 22 जुलाई, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 17 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 17 में, उपधारा (1) में खण्ड (च) के पश्चात् अन्त में निम्नलिखित खण्ड और प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(छ) कोई संगम या व्यक्तियों का निकाय चाहे वह निगमित हो या न हो;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई छात्र, जिसने उस विधि के अनुसार जिसके वह अध्यधीन है, वयस्कता की आयु प्राप्त न की हो, किसी ऐसी शिक्षण संस्था में, जिसका वह छात्र हो, बनाई गई किसी सहकारी समिति की सदस्यता के लिए पात्र होगा।"

धारा 29 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 29 में,—

(क) उपधारा (3) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द और अंक "30 जून, 2000" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 2000" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (7) में शब्द "दो वर्ष" प्रतिबन्धात्मक खण्ड को सम्मिलित करते हुए जहाँ कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "दो वर्ष छः माह" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 2452 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-25-2000

Dated Lucknow, November 1, 2000

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahkari Samiti (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 30 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 31, 2000 :—

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 2000

(U. P. ACT NO. 30 OF 2000)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty first Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on July 22, 2000.

Amendment of section 17 of U.P. Act No. 11 of 1966

2. In section 17 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *after* clause (*f*) the following clause and the proviso shall be *inserted* at the end, namely:—

"(*g*) any association or body of persons whether incorporated or not;

(196)

Provided that a student, who has not attained the age of majority according to the law to which he is subject, shall be eligible for the membership of a co-operative society formed in an educational institution to which he belongs."

Amendment of section 29

3. In section 29 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (3), in the proviso *for* the word and figures "June 30, 2000", the word and figures "December 31, 2000" shall be *substituted*;

(*b*) in sub-section (7) *for* the words "two years", wherever occurring including the proviso, the words "two years and six months" shall be *substituted*.

Repeal and savings

U. P. Ordinance no. 12 of 2000

4. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Ordinance, 2000 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if this Act were in force at all material times.

By order,

Y. R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 167 सा० विधा०—(2333)—2000—850 (मेक०)।

(197)